महत्वपूर्ण/ समयबद्ध

संख्या- 17 /2026/ 642 /छिहत्तर-1-2026/ 1697412

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1   लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2026

विषय:- प्रदेश में लू प्रकोप के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भीषण गर्मी/लू की स्थिति में प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या- 23/2025/950/ छिहत्तर-1-2025-6सम/2017/ कम्प्यूटर संख्या-1592446, दिनांक 30 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या 26/2025/1121/ छिहत्तर-1-2025-1697412, दिनांक 24 अप्रैल, 2025 द्वारा कतिपय दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। उक्त के क्रम में प्रदेश में भीषण गर्मी/ लू-प्रकोप से बचाव के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त ग्रामीण परिवारों को निरन्तर एवं निर्बाध रूप से शुद्ध पेयजलापूर्ति प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित कार्यवाहियां सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(1) जनपदों में उपलब्ध समस्त पेयजल स्रोतों यथा बांधो, जलाशयों एवं नदियाँ आदि में जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए ग्रामीणों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाए।

(2) ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु जनपद स्तरीय सम्बन्धित प्रशासनिक मशीनरी को 24 घंटे "एलर्ट" पर रखा जाए, ताकि पेयजल की समस्या का समाधान सुनिश्चित हो सके।

(3) प्रदेश में स्थापित समस्त ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम में नियमित एवं निर्बाध शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाए।

(4) जो पाइप पेयजल योजनाएं निर्मित हो गई है, अथवा निर्माणाधीन हैं, यथासम्भव उनके माध्यम से ही अथवा उनके स्रोत से ही जल लेकर नियमित रूप से पेयजलापूर्ति करायी जाय।

(5) सार्वजनिक एवं सरकारी परिसरों यथा- तहसील, थाना, अस्पताल, आगनबाडी केन्द्रों इत्यादि में घड़े / प्याऊ रखवाकर अथवा अन्य समुचित व्यवस्था करा कर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

(6) सामुदायिक शौचालयों में भी पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाए।

(7) जिन जनपदों में पाइप पेयजल योजनाओं के लिए रिजरवायर से जल लिया जा रहा है, उनमें सम्बन्धित जिलाधिकारी तत्काल बैठक कर सुनिश्चित करें कि रिजरवायर में पानी की उपलब्धता बनी रहे और पूरी गर्मी तक पेयजल आपूर्ति बिना बाधा सुचारु रूप से चलती रहे।

(8) लू के प्रकोप से बचने के दृष्टिगत शुद्ध पेयजल के उपयोग को समझाने तथा प्रबन्धित करने के लिए इनफारमेशन, एज्यूकेशन एवं कम्यूनिकेशन (आई.ई.सी.) के माध्यम से जागरुकता पैदा कर क्षमता निर्माण की दिशा में भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(9) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के त्वरित समाधान हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि उपलब्ध पेयजल स्रोतों यथा- इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों / स्थापित पाइप पेयजल योजनाओं/ टैंक टाइप स्टैन्ड पोस्ट आदि को सुचारू रूप से संचालित कराते हुए स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

(10) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु किसी भिज्ञ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए जनपदों से प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर प्रभावी कार्यवाही कराई जाए।

(11) जनपद स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम का विवरण दूरभाष नम्बर, नामित नोडल अधिकारी का नाम / पदनाम / कार्यालय का विवरण व मोबाइल नम्बर, अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के ई-मेल आई०डी० (ed.swsmup@rediffmail.com, ed.jjimup @gmail.com) पर उपलब्ध कराया जाये।

(12) जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या की सूचना जनता से प्राप्त करने एवं प्राप्त सूचना के आधार पर पेयजल समस्या के त्वरित समाधान हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित कर, कन्ट्रोल रूम स्थापित कराया जाए, जिसे जनपद के तहसीलों/ विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों से प्रभावी रूप से जोड़ दिया जाय। जनपद स्तर के नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर एवं कन्ट्रोल रूम के लैण्ड लाइन/मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से तहसीलों/विकास खण्डों/ग्राम पंचायती आदि में प्रसारित कराया जाए।

(13) जनपदों में नामित नोडल अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से पेयजल समस्या सम्बन्धी प्राप्त समस्त शिकायतों को एक रजिस्टर में दर्ज कराते हुए प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के ई-मेल (ed.swsmup@rediffmail.com) पर उपलब्ध कराई जाए:-

क्र.स.	शिकायत कर्ता का नाम/पता	शिकायत का दिनांक	शिकायत कर्ता का मोबाइल नम्बर	शिकायत पर की गयी कार्यवाही का विवरण	शिकायत का निस्तारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

(14) समस्त मण्डलायुक्त उपरोक्तानुसार अपने स्तर पर बैठक कर कार्यवाहियां सुनिश्चित कराएं।

2- अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
Date: 17-03-2026
15:04:27
(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव।

-3-

संख्या- 17 /2026/ 642 (1)/छिहत्तर-1-2026, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(6) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।

(7) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त जिला विकास अधिकारी (द्वारा जिलाधिकारी)।

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 18-03-2026

(डा० अम्बरीष कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।